माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : **mpbse@mp.nic.in** वेब साइट : **www.mpbse.nic.in**

क्रमांक /643/डी.एल.एड.कक्ष/2021 भोपाल, दिनांक 20/12/2021

प्रेस–विज्ञप्ति

डी.एल.एड. एवं डी.पी.एस.ई. (पी.पी.टी.सी.) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान द्वारा सत्र 2022–2023 हेतु नवीन संबंद्धता एवं संबंद्धता नवीनीकरण आवेदन मंडल द्वारा जारी आदेश क्र.–586–587/डी.एड.सेल/2014, भोपाल दिनांक 22.02.2014 (आदेश मण्डल वेबसाइट : **www.mpbse.nic.in** पर उपलब्ध) के संलग्न प्रारुप में **निर्धारित शुल्क सचिव के नामें, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल परिसर में स्थित यूको बैंक, शाखा हबीबगंज, में चालान (किसी अन्य बैंक के चालान मान्य योग्य नहीं) अथवा RTGS/NEFT (खाता कमांक 02830100006001 IFSC No. UCBA0000283) के माध्यम से जमा कर, जमा की गई राशि मण्डल के उक्त खाते में जमा होना सुनिश्चित करते हुये, शुल्क सहित आवेदन की प्रति दिनांक 10 मार्च 2022 तक मण्डल कार्यालय में आवश्यक रुप से प्रस्तुत** किया जाना सुनिश्चित करें। शुल्क मण्डल खाते में स्थानानंतरित नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा उक्त कार्यालयीन आदेश के बिन्दु क्रमांक–10 के तहत प्रकरण अमान्य कर जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

साथ ही संस्था द्वारा संबंद्धता नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के संलग्न 100 रुपये के स्टॉम्प पर नोटरी कराकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था को एन.सी.टी.ई. से सत्र 2022–2023 हेतु मान्यता प्राप्त है।

सचिव के आदेशानुसार।

उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
म.प्र., भोपाल

D:\Ded_cell-2021-22\letter.doc